राजस्थान में विशेष योग्यजनों के लिए रियायतें एवं योजनाऐं

(1) प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, राजस्थान सरकार ने विकलांगों को नियुक्ति/पदस्थापन के समय उनके इच्छित स्थान अथवा उसके नजदीक पदस्थापित करने पर विचार करने के निर्देश प्रदान कर रखे हैं ।

(2) राज्य सरकार के विकलांगता से प्रभावित कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ता के रूप में मूल वेतन का 6 प्रतिशत अथवा 600/— रूपये जो भी कम हो दिया जाता है ।

(3) राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों के नियम 2011 के तहत

- कार्मिक भर्ती में 1, 34, 67 वां पद निःशक्तजनों के लिए आरक्षित।
- किसी भी भर्ती परीक्षा की अर्हताओं में न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट
- अधिकतम आयु सीमा में सामान्य श्रेणी, ओ.बी.सी. व एस.बी.सी. तथा एससी/एसटी के निःशक्त अभ्यार्थियों को क्रमशः 10 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष की छूट ।

(4) प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थल जयपुर के श्री खोले के हनुमान जी, श्री मोती डूंगरी गणेश जी, श्री गोविन्द देव जी, बिडला मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा, श्री खाटूश्यामजी मंदिर, श्री सालासर हनुमान जी मंदिर एवं श्री कैलादेवी मंदिर, करौली आदि में दर्शनों की विशेष सुविधा ।

(5) जयपुर एयरपोर्ट पर एम्बुलिफ्ट की सुविधा । कार पार्क से लेकर टर्मिनल भवन तथा हवाई जहाज तक रैम्प की सुविधा ।

(6) रीको के असंतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों में 2 हजार वर्गमीटर तक के औद्योगिक भूखण्ड़ आवंटन में शारीरिक निःशक्त व्यक्ति को विकास शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत ।

(7) सरकारी हॉस्पिटलों में उपलब्ध मेडिकल जाँच एवं दवाईयां निःशुल्क।

(8) नवीन खुलने वाली उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता

(9) कृषि उपज मण्डी की दुकान/भूखण्ड आवंटन में 3 प्रतिशत आरक्षण

(10) स्थावर सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट।

(11) कृषि बिजली कनेक्शन में 3 प्रतिशत आरक्षण ।

(12) सरकारी कर्मचारी की दो संतानों में से एक या दोनों निःशक्त है तो तीसरी संतान होने पर भी पदोन्नति के लाभ से वंचित नहीं करने का निर्णय ।

(13) राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 3 प्रतिशत आरक्षण ।

(14) नव निर्मित सरकारी भवनों/सार्वजनिक उपयोग के भवनों में रैम्प निर्माण की अनिवार्यता लागू।

(15) स्नातक डिग्री प्राप्त/अधिकतम आयु 35 वर्ष प्रार्थी का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक । बेरोजगारी भत्ता 600/— रूपये प्रतिमाह । परिवार की वार्षिक आय दो लाख रूपये से अधिक नहीं हो ।

(16) अनुप्रति योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, **IIT, IIM, CLAT,** राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज प्रवेश परीक्षा आदि में उत्तीर्ण होने पर अनुदान राशि 10 हजार रूपये से लेकर एक लाख रूपये तक

(17) छात्रवृत्ति/स्कॉलरशिप योजना

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत होने पर मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात् उच्च अध्ययन हेतु वास्तविक फीस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा

कक्षा 1 से 4	:	40/— रूपये प्रतिमाह
कक्ष 5 से 8 तक	:	50/— रूपये प्रतिमाह
कक्षा 9 — 10 में	:	150/— रूपये प्रतिमाह
हॉस्टलर को	:	230/— रूपये प्रतिमाह

नेत्रहीन को वाचक भत्ता के रूप में 100/— रूपये प्रतिमाह अतिरिक्त । वार्षिक आय सीमा 2.00 लाख रूपये ।

(18) इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना के तहत

प्रत्येक जिले में 8वीं, 10वीं तथा 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में प्रथम स्थान आने वाली विकलांगता प्रभावित छात्राओं को क्रमश : 25 हजार, 40 हजार एवं 50 हजार रूपये का नकद पुरस्कार इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार के रूप में दिया जाता है ।

(19) निःशुल्क कालेज शिक्षा : प्रदेश के सरकारी कालेजों में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकते है। कालेज शिक्षा आयुक्तालय के अधीन विकलांग विद्यार्थी मनोवांछित महाविद्यालय में मनोवांछित संकाय में उत्तीर्णांक पर एडमिशन ले सकते हैं ।

(20) राजस्थान राज्य परिवहन निगम की राज्य एवं राज्य के बाहर जाने वाली साधारण, एक्सप्रेस एवं रात्रिकालीन बसों में निःशुल्क यात्रा का प्रावधान। मानसिक मंदता, मानसिक रूग्णता तथा नेत्रहीन निःशक्तजनों के साथ यात्रा करने वाले एक सहयोगी को भी निःशुल्क यात्रा का प्रावधान । अधिकतम वार्षिक आय सीमा—आयकर दाता नहीं हो ।

(21) कृत्रिम अंग—उपकरण/आर्थिक संयुक्त सहायता अनुदान योजना के तहत कृत्रिम अंग एवं उपकरणों के लिए अधिकतम 6 हजार रूपये तथा स्वरोजगार हेतु 6 हजार रूपये तक की सहायता दी जाती है। अधिकतम वार्षिक आय सीमा — आयकर दाता नहीं हो ।

(22) पारिवारिक पेंशन योजना के तहत राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 67 (घ) के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी का पुत्र या पुत्री मानसिक विकार या विकलांगता से प्रभावित है या शारीरिक रूप से विकलांग है अथवा नेत्रहीन या मूक—बधिर है जिससे वह 25 वर्ष की आयु के पश्चात् भी आजीविका अर्जित करने में असमर्थ है तो ऐसे पुत्र व पुत्री को जीवन पर्यन्त परिवार पेंशन प्राप्त करने का हक है ।

(23) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में परीक्षा समय में एक घंटा अतिरिक्त अथवा राइटर (श्रुति लेखक) की सुविधा।

(24) ग्रामीण/शहरी बीपीएल आवास योजनाओं में बीपीएल श्रेणी के विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण ।

(25) जयपुर विकास प्राधिकरण, हाऊसिंग बोर्ड की आवास योजनाओं में 2 प्रतिशत आरक्षण ।

(26) राजस्थान सरकार द्वारा विकलांगजन या निःशक्तजन के स्थान पर उन्हें सम्मान प्रदान करते हुए विशेष योग्यजन का सम्बोधन

(27) राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम की स्थानान्तरण नीति के अनुसार मानसिक रूप से विक्षिप्त, गम्भीर रूप से बीमार व पूर्ण रूप से विकलांग बच्चों के माता–पिता (निगम कर्मचारी) का स्थानान्तरण विकल्प प्राप्त कर ऐसे स्थान पर किया जाए जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो ।

(28) राजस्थान में पृथक विशेष योग्यजन निदेशालय की स्थापना ।

(29) प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से मानसिक विमंदित पुनर्वास गृहों का संचालन

(30) परिवार में एक से अधिक विशेष योग्यजन होने पर आस्था योजना के तहत बीपीएल परिवार के समकक्ष सुविधाएं । वार्षिक आय सीमा–1 लाख 20 हजार रूपये ।

(31) सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत वर–वधु में से एक अथवा दोनों के विशेष योग्यजन होने पर 25 हजार रूपये का अनुदान । वार्षिक आय सीमा 50 हजार रूपये ।

(32) हिंजड़े/किन्नर एवं प्राकृतिक रूप से बौने (वयस्क व्यक्ति के मामले में उसकी ऊंचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो) भी पेंशन पात्रता के दायरे में है ।

(33) डेयरी बूथ आवंटन में 3 प्रतिशत आरक्षण ।

(34) राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के तहत 8 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन को 250/– रूपये प्रतिमाह, 8 वर्ष से अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन को 500/– रूपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के विशेष योग्यजन को 750/– रूपये प्रतिमाह पेंशन । विशेष योग्यजन प्रार्थी की अधिकतम वार्षिक आय सीमा 60000/– रूपये ।

(35) सार्वजनिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, पुरातत्व महत्व के स्थलों, बहुमंजिला इमारतों, स्कूलों, अस्पतालों, मतदान केन्द्रों पर रैम्प का निर्माण ।

(36) मुख्यमंत्री विशेषयोग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत अधिकतम 5.00 लाख रूपये का ऋण। पचास प्रतिशत अथवा 50000/– दोनों में जो कम हो, उतनी राशि का अनुदान । आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतो से वार्षिक आय 2,00,000/– रूपये से अधिक नहीं हो ।

(37) आर्थिक रूप से कमजोर मूक–बधिर बच्चों का मुख्यमंत्री सहायता कोष से निःशुल्क कॉकलियर इम्प्लान्ट आपरेशन की सुविधा ।

(38) महानरेगा के तहत विशेष योग्यजनों को ग्राम रोजगार सहायक के पद पर नियोजित करने के आदेश ।

(39) पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत आस्था कार्डधारी परिवार के मुखिया का निःशुल्क जीवन बीमा।

(40) अनन्य रूप से विकलांग व्यक्ति द्वारा उपयोग में लेने वाले अशक्त यात्री गाड़ी का परिवहन विभाग में निःशुल्क पंजीयन ।

(41) परिवहन विभाग में विकलांग व्यक्ति के नाम से पंजीकृत वाहन को सरकारी बीमा कम्पनी द्वारा बीमा शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट ।

विशेष योग्यजन/निःशक्तजन योजनाओं, नियम एवं प्रावधानों की अधिक जानकारी हेतु डायल करें

0141–2369701, 2369702

E-mail : dilnihh.raj@gmail.com

SMS : 8764330432

डिसएबिलिटी इनफोरमेशन लाईन, राजस्थान

द्वारा जनहित में प्रसारित